राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

प.4(71)वित्त–1(1)आय.व्य/2015 जयपुर, दिनांक : 31 मार्च, 2017
स्वीकृति संख्या:–1053/2016–17

कोषाधिकारी,
कोटा।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्राविप्र), कोटा के पी.डी.खाते में राशि रुपये 9.00 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 5( )माडा /शिक्षा /नवीन छात्रावास संचालन/2016–17 स्वीकृति सं. 100/2016–17 दिनांक 30.03.2017 में अंकित शर्तो के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(ग्राविप्र), कोटा के पी.डी.खाते में राशि रू. 9.00 लाख (अक्षरे रुपये नो लाख) मात्र निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे:–

मांग संख्या –30

2225	– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	
02	– अनुसूचित जन जातियों का कल्याण	
796	– जनजातिय क्षेत्र उपयोजना	
(21)	– माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (ज.क.नि.)	
[14]	– बहुद्देशीय छात्रावास का संचालन एवं संस्थापन	
12	– सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)	राशि रुपये 3.00 लाख
92	– सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) (आयोजना)	राशि रुपये 6.00 लाख
		योग राशि रुपये 9.00 लाख

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चो के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(जसवन्त सिंह)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा–प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (व्यय–II) विभाग।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(ग्राविप्र), कोटा।
6. अतिरिक्त निदेशक (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
7. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

कमरा नं. 5137, वित्त (आय–व्ययक) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–302005
[illegible] आई.पी. नं.–24452 फैक्स नं. 0141–2227799